

27/1/2022 पञ्जावली पर वकील वादी द्वारा 152 का अ. पत्र
पेश किया। दस्तावेजों का इन्फेक्शन किया गया।
अ. पत्र संख्या 152 स्विकार किया जाकर संशोधित
डि. के. किया जाता है। पञ्जावली केवल सुमाट हेक्टर
नम्बर से कम हो।